कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

Website : https://mymmc.org., E-mail ID-muzaffarpur.ulb@gmail.com, Control Room- 7870031117

पुर्न अति–अल्पकालिन सार्वजनिक बन्दोबस्ती आमंत्रण सूचना

(ई–टेंडरिंग द्वारा https://eproc2.bihar.gov.in/)

सूचना सं0–10/GS/MMC/2026-27 (4th Call)

1.	विज्ञापन दाता का नाम एवं पता	:	नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर
2.	खुला डाक बंदोबस्ती आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि	:	20.05.2026
3.	टेंडर कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की तिथि/समय	:	दिनांक 25.05.2026 से 31.05.2026 के 15:00 बजे तक (on website https://eproc2.bihar.gov.in/)
4.	सभी मूल शपथ पत्र, मूल Existing Commitment, अग्रधन राशि के रूप में जमा बैंक गारंटी मूल प्रति /ऑनलाईन जमा प्राप्ति प्रति मूल में, परिमाण विपत्र का ऑनलाईन जमा प्राप्ति प्रति मूल में एवं जमा करने की तिथि/समय एवं स्थान	:	पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय ज्ञापांक–163 (E) दिनांक 10.01.2024 के आलोक में निविदा से संबंधित सभी कागजात केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। निविदा में भाग लेने हेतु किसी भी कागजात की हार्ड कॉपी जमा करना आवश्यक नहीं होगा। अग्रधन की राशि ऑनलाईन पेमेन्ट या बैंक गारण्टी के द्वारा स्वीकार किया जायेगा। निविदा में सफल निविदाकार को आवश्यक कागजात जैसे–सभी शपथ–पत्र (मूल में), बैंक गारण्टी (मूल में) एकरारनामा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
5.	तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय	:	दिनांक 02.06.2026 के 15:30 बजे के बाद। (on website https://eproc2.bihar.gov.in/)
6.	तकनीकी निविदा की जाँच/ मूल्यांकन कर सफल निविदादाओं की सूची आपलोड करने की अन्तिम तिथि	:	दिनांक 05.06.2026 के 02:00 बजे के बाद। (on website https://eproc2.bihar.gov.in/)
7.	ई–नीलामी प्रारंभ तथा समाप्त होने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 08.06.2026 को 11:30 बजे से 16:00 बजे तक।

8. कार्य का विवरण

क्र. सं.	बन्दोबस्ती स्थल का नाम	संबंधित बन्दोबस्ती मद	न्यूनतम डाक मूल्य	जमानत की राशि 10 % (अग्रधन के रूप में) (रू0 में)	खुला डाक में भाग लेने से संबंधित शुल्क (अप्रत्यपर्नीय) Non-Refundable	बन्दोबस्ती की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत	मोतीझील अवस्थित फ्लाई ओवर के नीचे पार्किंग एवं मोतीझील बम पुलिस गली पार्किंग शुल्क वसूली।	26,78,350.00	2,67,835.00	5000.00	एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027 तक

पंजीयन की प्रक्रिया :–

1. ई–ऑक्शन के प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल (https://eproc2.bihar.gov.in) में सर्वप्रथम पंजीयन करना आनिवार्य होगा। यदि बोलीदार द्वारा पूर्व में ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन कराया जा चुका हो तो पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। सम्भावित

बोलीदाताओं को निलामी में भाग लेने हेतु एक वैध श्रेणी–III डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (DSC) एवं यूजर आई0डी0 प्राप्त करना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संबंधित बोलीदाता के पास एक वैध ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल संख्या होना अनिवार्य है।

2. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल (https://eproc2.bihar.gov.in) पर पंजीयन लिंक के द्वारा पंजीयन की प्रक्रिया सर्वप्रथम पूरी करनी होगी। पंजीयन पर क्लिक करने पर एक नई ऑन–लाईन प्रपत्र में दर्शाये गये विवरण को दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात आपको नियम एवं शर्तों को स्वीकार करना होगा विंडो में दर्शित Captcha को दर्ज करना अपना पंजीयन करना होगा। सारे विवरण दर्ज करने के बाद सम्बंधित दस्तावेज के साथ पंजीयन शुल्क के साथ भुगतान इसी प्रक्रिया में किया जाना होगा। पंजीयन शुल्क केवल ऑन–लाईन माध्यम से स्वीकार किया जायेगा जो (https://eproc2.bihar.gov.in) पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना होगा।
3. इस प्रक्रिया को पूर्ण करने पर पोर्टल के विंडो पर आपके द्वारा किया गया पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया है, ऐसा संदेश प्राप्त होगा। यदि आवश्यकता हो तो सम्बंधित प्रपत्र का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते है तथा इसकी वैधता एक वर्ष के लिए होगा।
4. उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत आपको यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इस यूजर आई0डी0, पासवर्ड एवं स्वयं में डिजीटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए निलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
5. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल (https://eproc2.bihar.gov.in) पर देय दर से Processing Fee (Through online payment) का भुगतान करेंगे।

ई–ऑक्शन की प्रक्रिया :–

1. नीलामी की सूचना में दर्शित समय के पूर्व इच्छुक व्यक्ति को (https://eproc2.bihar.gov.in) पोर्टल में पंजीयन के समय प्राप्त यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड दर्ज करके प्रविष्टि करना होगा।
2. पोर्टल में प्रविष्टि के उपरांत एक्टिविटी विंडों में क्लिक करना होगा। इस विंडों में क्लिक के उपरांत आपको ऑक्शन का चयन करना होगा।
3. अग्रधन एवं आवेदन शुल्क सफलता पूर्वक जमा करने के पश्चात् बोलीदाता बेल्ट्रॉन द्वारा प्रदान किये गये यूजर आई0डी0 का उपयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं भुगतान रसीद के साथ सभी वांछित कागजात अपलोड करेगें। जो निम्नवत है:–

   (क) पैन कार्ड की प्रति।

   (ख) जी0एस0टी0 की प्रति एवं अंतिम तीन माह का GST रिटर्न की प्रति ।

   (ग) पिछले तीन साल का इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति।

   (घ) आधार कार्ड की प्रति। जिन बोलीदाताओं द्वारा आधार कार्ड हेतु आवेदन दिया गया हो, वैसे बोलीदाता यू0आई0डी0ए0आई0 भारत सरकार द्वारा निर्गत पावती रसीद की प्रति भी संलग्न कर सकते है।

   (ङ) निर्वाचन प्रमाण पत्र/विद्युत विपत्र/लैण्ड लाईन विपत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/बैंक पासबुक/घरेलू गैस विपत्र/आवासीय प्रमाण–पत्र अभिप्रमाणित के रूप में संलग्न कर सकते है।

   (च) सफल निविदादाता को आचरण प्रमाण–पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत) अभिप्रमाणित के रूप में संलग्न करना जरूरी है।

   (छ) पासपोर्ट की प्रति (केवल एन0आर0आई0 बोलीदाताओं के लिए)।

   (ज) प्रत्येक बोलीदाता को यह शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा कि:

      (i) उनको किसी भी सरकारी/अर्ध–सरकारी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड/डिबार नहीं किया गया है।

(ii) आवेदक के विरुद्ध कोई गंभीर आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(iii) नगर निगम/अन्य निकायों के प्रति कोई बकाया देनदारी नहीं है।

(iv) उनके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सत्य एवं सही हैं तथा किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी देने पर उसकी बोली निरस्त कर दी जाएगी।

(झ) दो रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो।

(ञ) सफल निविदादाता को अठारह प्रतिशत जी0एस0टी0 की राशि, इनकम टैक्स (टी0सी0एस0) एवं 2% की दर से स्टाम्प शुल्क, 6% प्रतिशत की दर से निबंधन शुल्क एवं स्वीकृति के पश्चात एकमुस्त कुल राशि (सभी कर सहित) 24 घंटे के अन्दर निगम कोष में जमा करना होगा तथा एक हजार रूपये के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा कराना अनिवार्य होगा।

(ट) निविदादाता डाक में भाग लेने से पूर्व बंदोबस्ती स्थल का भ्रमण कर सकते है बाद में इस संबंध में कोई दावा/विवाद मान्य नही होगा एवं निगम के शर्त्तों के अधीन निर्धारित दर पर ही संबंधित स्थल से राशि वसूली करनी होगी, किसी भी डाक को बिना शर्त कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा, तथा सफल निविदादाता क्षेत्र में वसूली कर्त्ता का चरित्र प्रमाण–पत्र के आधार पर पहचान पत्र निर्गत करना अनिवार्य होगा।

4. सभी वांछित कागजातों को अपलोड करने के पश्चात् निगम कार्यालय द्वारा प्राधिकृत बोली आमंत्रण प्राधिकार द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जायेगी। केवल वैध दस्तावेज समर्पित करने वाले बोलीदाताओं को ही ई–नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्वीकृति दी जायेगी।
5. आक्शन मोड के चयन के उपरांत आपको संबंधित सम्पदा का चयन करना होगा, जिसके उपरांत नीलामी में प्रदर्शित सम्पदाओं की सूची विंडों में दर्शित होगी।
6. बोलीदाता को सुरक्षित जमा राशि के रूप में कुल राशि का 10% (दस प्रतिशत) जमा करना होगा।
7. प्रत्येक बोलीदाता के कम्प्यूटर के विंडों पर अन्य बोलीदाताओं की सर्वोच्च बोली ही प्रदर्शित होगी। बोलीदाता के नाम तथा पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी।
8. किसी विशिष्ट सम्पदा के ई–नीलामी की प्रक्रिया समाप्ति समय से 03 मिनट पहले यदि किसी बोलीदाता द्वारा बोली समर्पित की जाती है तो सिस्टम द्वारा स्वतः बोली समाप्ति की अवधि को अगले 10 मिनट तक के लिए विस्तारित कर दिया जायेगा। विस्तारित अवधि में उच्चतम बोली से अधिक बोली प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विस्तारित अवधि के समाप्ति के पश्चात बोली की प्रक्रिया बन्द कर दी जायेगी।
9. प्रत्येक बोली में वृद्धि मूल्य 5000.00 रूपया होगा।
10. सफलतम बोलीकर्त्ता को स्वचलित सिस्टम द्वारा ई–पद्धति के माध्यम से उच्चतम बोलीकर्त्ता होने की सूचना दी जाएगी।
11. बोली लगाते समय सभी आई0टी0 संसाधनों एवं उपकरणों के सुचारू रूप से कार्य करने संबंधी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बोलीदाता की होगी। किसी भी प्रकार की तकनिकी समस्या एवं इन्टरनेट विच्छेद संबंधी मामलों में नगर निगम कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस कारण से हुई क्षति के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
12. सभी संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई–नीलामी से संबंधित सभी निर्देशों, नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें।
13. ई–नीलामी संबंधित विवरणी एवं नियम–शर्त्तों की जानकारी e-Procurement Portal https://eproc2.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड की जा सकती है।

14. Auction processing fee संबंधित बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा जो केवल Internet Banking/Debit Card/Credit Card/ Payment Gateway https://eproc2.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्राप्त एवं स्वीकार किया जायेगा।

15. Auction processing fees and Auction form fee non-refundable होगा। अतः इस संबंध में राशि वापसी से संबंधित किसी भी प्रकार के अनुरोध अथवा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

16. सभी इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई–नीलामी हेतु पंजीकरण कराने एवं ऑन–लाईन आवेदन करने से पूर्व नियम एवं शर्त्तों को ध्यान से पढ़ लिया गया है तथा सभी नियम शर्त्तों उनको मान्य है। बाद में इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति अस्वीकारात्मक होगी।

17. सभी इच्छुक बोलीदाता से अनुरोध है की ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व सभी स्थल का निरीक्षण कर स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात ही बोली में भाग लेंगे। वर्त्तमान में उपलब्ध स्थिति में ही बोलीदाता को वसूली के लिए अधिकृत किया जायेगा।

18. सफल बोलीदाता नगर निगम द्वारा निर्धारित दर से ही वसूली करने के लिए अधिकृत होंगे।

19. **वसूली का दर**–सफल बोलीदाता नगर निगम द्वारा निम्नलिखित स्वीकृत दर से ही वसूली करने का अधिकार प्राप्त होगा।

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	स्वीकृत दर	समयावधि
1.	चार पहिया वाहन	50.00	03 घंटा
2.	तीन पहिया वाहन	20.00	03 घंटा
3.	दो पहिया वाहन	10.00	03 घंटा

सफल बोलीदाता केवल नगर निगम द्वारा निर्धारित दरों पर ही शुल्क वसूली करने के लिये अधिकृत होंगे। निर्धारित दर सूची को स्थल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। बोलीदाता के द्वारा स्वीकृत दर से अधिक दर वसूली पाए जाने पर बोलीदाता के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

20. सफल बोलीदाता को वसूली का दैनिक अभिलेख संधारित करना होगा तथा नगर निगम द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

21. ई–नीलामी से संबंधित बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को बदलने अथवा भविष्य में लिये जाने वाले निर्णय का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित होगा, जिस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति पूर्णतः अस्वीकारात्मक होगी।

22. ई–नीलामी की प्रक्रिया के तहत बोलीदाताओं द्वारा यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा भ्रष्ट आचरण का प्रमाण पाया जाता है तो उन्हें उच्चतम डाकदाता घोषित होने के बावजूद भी उनके डाक को रदद् कर जमा राशि जप्त कर लिया जोयगा।

23. उपरोक्त बन्दोबस्ती के संबंध में विशेष जानकारी निगम कार्यालय के सैरात बन्दोबस्ती शाखा से कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

24. बन्दोबस्ती में डाक निर्धारित न्यूनतम डाक मूल्य के आधार पर पूरे वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जायेगी।

25. डाक समाप्ति के उपरान्त अधिकतम बोली के आलोक में शेष अवधि के लिए (31.03.2027 तक) समानुपातिक रूप से राशि की गणना कर सफल डाकदाता को निगम कोष में 24 घंटे के अंदर राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

26. सफल बोलीदाता के द्वारा 24 घंटे के अंदर बोलीदाता द्वारा लगायी गयी उच्चतम बोली की पूर्ण राशि नहीं जमा करने के स्थिति में उनके डाक को रद्द करते हुए जमा राशि जब्त कर ली जाएगी, जिस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति पूर्णतः अस्वीकारात्मक होगी।

27. निम्न स्थितियों में नगर निगम को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा:

(i) निर्धारित शर्तों का उल्लंघन
(ii) समय पर भुगतान नहीं करना
(iii) अनियमितता/दुराचार/शिकायत सिद्ध होना
(iv) निर्धारित दर स अधिक वसूली करना

20/05/26

(ऋतुराज प्रताप सिंह, भा॰प्र॰से॰)
नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 2002/2710 मु0न0नि0, मुज0 दिनांक 20/05/2026

प्रतिलिपि :– प्रभारी कम्प्यूटर शाखा को website https://mymmc.org/ पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– DIO, NIC, Muzaffarpur को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि NIC के website पर अपलोड कराने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– माननीया महापौर/माननीया उप महापौर, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/05/26

(ऋतुराज प्रताप सिंह, भा॰प्र॰से॰)
नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।